(69)

प्रारूप

जिला स्वास्थ्य समिति , मधुबनी ।

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

पत्रांक /जि0स्वा0समि0

प्रेषक: जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

सेवा में : सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी कार्यपालक दंडाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, मधुबनी जिला।
सभी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी संबंधित थानाध्यक्ष, मधुबनी जिला।

मधुबनी दिनांक

बिषय : तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 1824 दिनांक 02.03.2013 के आलोक में सूचित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान प्रतिबंधित है, इन स्थानों पर कोई व्यक्ति धूमपान करते हुए पाया जाता है तो तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ताओं पर रूपये 200.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आप सभी अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता के सदस्य है। साथ ही सूचित करना है कि आपको पूर्व में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन हेतु मार्गदर्शिका एवं चालान का बुकलेट उपलब्ध कराया गया है।

1. अनुमंडल पदाधिकारी – अध्यक्ष।
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी – सदस्य।
3. कार्यपालक दंडाधिकारी – सदस्य।
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी – सदस्य।
5. उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल – समन्वयक सदस्य।
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य।
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य।

अतः निदेश दिया जाता है कि मार्गदर्शिका के अनुसार तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन एवं अनुश्रवण किया जाय एवं दोषी व्यक्ति के विरूद्ध जुर्माना का चालान काटने की कृपा की जाय तथा जुर्माना की राशि को जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी में जमा करायी जाय।

विश्वासभाजन

05/9/14

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

(68)

प्रारूप
जिला स्वास्थ्य समिति , मधुबनी ।
(सामान्य प्रशासन प्रभाग)
पत्रांक /जि0स्वा0समि0

प्रेषक: जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

सेवा में : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबनी जिला।
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मधुबनी जिला।
सभी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबनी जिला।
सभी संबंधित थानाध्यक्ष, मधुबनी जिला।

मधुबनी दिनांक

बिषय : तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त बिषयक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 1824 दिनांक 02.03.2013 के आलोक में सूचित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान प्रतिबंधित है, इन स्थानों पर कोई व्यक्ति धूमपान करते हुए पाया जाता है तो तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ताओं पर रूपये 200.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आप सभी प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता के सदस्य है। साथ ही सूचित करना है कि आपको पूर्व में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन हेतु मार्गदर्शिका एवं चालान का बुकलेट उपलब्ध कराया गया हैं।

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष।
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी – समन्वयक सदस्य।
3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य।
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी – सदस्य।
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी – सदस्य।
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक – सदस्य।
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य।

अतः निदेश दिया जाता है कि मार्गदर्शिका के अनुसार तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन एवं अनुश्रवण किया जाय एवं दोषी व्यक्ति के विरूद्ध जुर्माना का चालान काटने की कृपा की जाय तथा जुर्माना की राशि को जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी में जमा करायी जाय।

विश्वासभाजन

05/9/14

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

ज्ञापांक : 2915 / मधुबनी, दिनांक 05/12/14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य आर० के० कॉलेज, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, आर० के० कॉलेज, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : डॉ० निशान्त कुमार, नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : औषधि निरीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा० गिरीश पांडेय, इंडियन रेड कॉस सोसायटी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

o/c प्रतिलिपि : प्राधानाचार्य, वाट्सन उच्य विद्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 05/12/14

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी

Dayanand 05/12/14

Dr. Nishant Kumar
Nodal officer
COTPA.
MDB.
M 9430469388.

प्रारूप

जिला स्वास्थ्य समिति , मधुबनी ।

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

पत्रांक /जि0स्वा0समि0

प्रेषकः जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

सेवा में : आरक्षी उपाधीक्षक, सदर अनुमंडल, मधुबनी।
अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधुबनी।
जिला नोडल पदाधिकारी(तम्बाकू नियंत्रण), मधुबनी।
जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी।
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी।
जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधुबनी।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मधुबनी।
अनुज्ञापन पदाधिकारी/सहायक औषधि नियंत्रक, मधुबनी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी।
जिला कार्यकम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।
श्रम अधीक्षक, मधुबनी।
थाना प्रभारी, नगर थाना, मधुबनी।

मधुबनी दिनांक

बिषय : तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त बिषयक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 1824 दिनांक 02.03.2013 के आलोक में असूचित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान प्रतिबंधित है, इन स्थानों पर कोई व्यक्ति धूमपान करते हुए पाया जाता है तो नम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ताओं पर रूपये 200.00 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आप सभी जिला स्तरीय छापामार दस्ता के सदस्य है। साथ ही सूचित करना है कि आपको पूर्व में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन हेतु मार्गदर्शिका एवं चालान का बुकलेट उपलब्ध कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका के अनुसार तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन एवं अनुश्रवण किया जाय एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माना का चालान काटने की कृपा की जाय तथा जुर्माना की राशि को जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी में जमा करायी जाय।

विश्वासभाजन

05/9/14

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

जिला स्वास्थ्य समिति , मधुबनी ।

(82)

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

आदेश

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 6953 दिनांक 01.09.2014 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी–स्टॉल, मिष्ठान्न भंडार, ढ़ाबा, सभी सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी / गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र / अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल / रेस्टोरेंट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, इन स्थानों पर "धूम्रपान निषेध" का बोर्ड प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ताओं पर रूपये 200 / – तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नलिखित है:–

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

ज्ञापांक: 1749 / जि0स्वा0सभि0, मधुबनी, दिनांक 08/09/14

प्रतिलिपि : आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी / असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी / जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी / जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), मधुबनी / जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधुबनी / जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मधुबनी / अनुज्ञापन पदाधिकारी / सहायक औषधि नियंत्रक, मधुबनी / जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी / श्रम अधीक्षक, मधुबनी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

O/C

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

8.9.2014

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

Dayanidhi 08/09/14

जिला स्वास्थ्य समिति , मधुबनी ।

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

आदेश

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 6953 दिनांक 01.09.2014 के आलोक में सूचित किया जाता है कि कोटपा–2003 के धारा 6(a) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को या उनके द्वारा, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है। बोर्ड / फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है:–

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिले के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, पान–मशाला एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को अपने–अपने दुकानों पर यह बोर्ड लगाने का आदेश दिया जाता है। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान के द्वारा अधिकतम 200.00 रू0 तक की राशि वसूली की जा सकती है।

Sd/- 8.9.2014

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

ज्ञापांकः 1750 / जि0स्वा0समि0, मधुबनी, दिनांक 08/09/14

प्रतिलिपि : आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी / असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी / जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), मधुबनी / जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधुबनी / जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मधुबनी / अनुज्ञापन पदाधिकारी / सहायक औषधि नियंत्रक, मधुबनी / जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी / श्रम अधीक्षक, मधुबनी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Sd/- 08.09.14

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

Dayanidhi 08/09/14

जिला स्वास्थ्य समिति , मधुबनी ।

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

आदेश

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 6953 दिनांक 01.09.2014 के आलोक में सूचित किया जाता है कि कोटपा–2003 के धारा 6(b) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही चेतावनी हेतु विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित बैनर फ्लैक्स एवं दिवार लेखन करने का निदेश है। प्रदर्शन हेतु बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है:–

60cm x 60 cm (15cm+30cm+15cm)

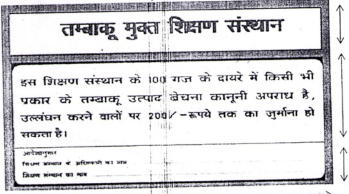

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन तथा 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों को आदेशित किया जाता है। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200.00 रू0 तक राशि वसूली की जा सकती है।

8.9.14

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

ज्ञापांकः 1751 /जि0स्वा0समि0, मधुबनी, दिनांक 08/09/14

प्रतिलिपि : आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी/असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी/जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), मधुबनी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी/जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधुबनी/जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मधुबनी/अनुज्ञापन पदाधिकारी/सहायक औषधि नियंत्रक, मधुबनी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी/श्रम अधीक्षक, मधुबनी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

O/c

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

8.9.2014

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

Dayasidh
08/09/14